भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 921
03 दिसम्बर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोविड-19 के शिकार लोगों को मुआवजा

921. **श्री पसुनूरी दयाकर:**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्रीमती कविता मलोथू:
डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को कोविड महामारी से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मृतकों के परिजन को पचास हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे के साथ-साथ महाराष्ट्र के सतारा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/जिले-वार कितनी धनराशि वितरित की गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो अनुग्रह राशि देने में हो रहे विलम्ब के कारण क्या हैं;

(घ) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है तथा इस खर्च को सरकार ने किस प्रकार वहन किया है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) यह मुआवजा लेने के लिये आवश्यक दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 554/2021 और संख्या 539/2021 में दिनांक 30 जून 2021 के निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के माध्यम से "कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देश" जारी किए हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रति मृतक व्यक्ति, जिसमें राहत कार्यों में शामिल या कोविड-19 संबंधी तैयारी गतिविधियों से जुड़े लोग भी शामिल हैं, 50,000/- रुपये की राशि की सिफारिश की है बशर्ते मृत्यु का कारण कोविड-19 के रूप में प्रमाणित हो।

राज्यों द्वारा राज्य आपदा अनुक्रिया कोष से अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ जिला प्रशासन द्वारा संबंधित मृतक की "कोविड -19 के कारण मृत्यु" के रूप में प्रमाणित प्रमाण के साथ आवेदन जमा करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर वितरित की जानी है।

इसके अलावा, सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि अनुग्रह राशि के भुगतान से संबंधित मुद्दों में किसी भी विवाद के निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र गठित करें।

कोविड-19 से हुई मौत सूचित करने वाले मृत्यु प्रमाण पत्र को, जो इन दिशानिर्देशों के जारी होने से पहले ही जारी किया गया हो या जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो, किसी मृत्यु को 'कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु' मानने के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा।

*****